भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2378
04.08.2025 को उत्तर के लिए

मानव-पशु संघर्ष

2378. श्री बैजयंत पांडाः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मानव-वन्यजीव संघर्ष की पिछले तीन वर्षों के दौरान सबसे अधिक घटनाओं वाले शीर्ष पाँच राज्यों के नाम क्या हैं, साथ ही प्रत्येक राज्य में दर्ज मानव और पशु हताहतों की संख्या कितनी है;
(ख) इन संघर्षों में शामिल प्रमुख वन्यजीव प्रजातियों का ब्यौरा क्या है और क्या ये घटनाएँ आवास विखंडन, वनों की कटाई या भूमि-उपयोग परिवर्तन के पैटर्न से संबंधित हैं;
(ग) संघर्ष क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों दोनों की सुरक्षा के लिए क्या प्रमुख कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार मूल कारणों का समाधान करने और पशु कल्याण को सहायता देने के लिए पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, वन्यजीव गलियारों या पुनर्वास पर काम कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सतत मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व के मार्गदर्शन के लिए किए गए किसी दीर्घकालिक आकलन या विशेषज्ञ परामर्श का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): मानव-पशु संघर्षों के शमन सहित वन्यजीव प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में बाघों और हाथियों के हमले के कारण हुई मानव मृत्यु का विवरण **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। इन संघर्षों में बाघ, तेंदुआ, हाथी, काला हिरण, भालू, मगरमच्छ, भारतीय गौर, भारतीय साही, जंगली सूअर, नीलगाय और सांप जैसी सामान्य प्रजातियां शामिल हैं।

सरकार द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्या के समाधान हेतु किए गए महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं: -

i. केंद्र सरकार देश में मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन सहित वन्यजीवों और उनके पर्यावास के प्रबंधन हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, 'वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास' के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन स्कीमों के अंतर्गत समर्थित कार्यकलापों में फसल लगे खेतों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने हेतु सौर ऊर्जा से संचालित विद्युत बाड़, कैक्टस का रोपण करके जैविक-बाड़, चारदीवारी आदि जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण/स्थापन, मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को अनुग्रह राशि का भुगतान शामिल है।

ii. इस मंत्रालय द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए फरवरी, 2021 में एक परामर्शिका जारी की गई है। इस मंत्रालय ने फसलों को होने वाले नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन के संबंध में दिनांक 3 जून, 2022 को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

iii. इस मंत्रालय ने दिनांक 21.03.2023 को मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए प्रजाति-विशिष्ट दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

iv. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य वन्य जीव वार्डनों को अधिनियम की अनुसूची I में आने वाले उन जानवरों के शिकार के लिए परमिट देने का अधिकार देती है, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि कोई जानवर मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक हो जाते हैं, तो इस अधिनियम की धारा 11 (1) (ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य वन्य जीव वार्डनों या किसी भी अधिकृत अधिकारी को अधिनियम की अनुसूची-II के अंतर्गत आने वाले जंगली जानवरों के शिकार के लिए परमिट देने का अधिकार देती है।

v. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत पूरे देश में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को कवर करने वाले संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व का एक नेटवर्क बनाया गया है, ताकि जंगली जानवरों और उनके पर्यावासों का संरक्षण किया जा सके।

vi. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 ण(1)(छ) के अनुसार, देश के 32 प्रमुख बाघ गलियारों की पहचान की है। एनटीसीए दिशानिर्देश (2012) और मानक संचालन प्रक्रियाएँ बाघ और पर्यावास प्रबंधन का मार्गदर्शन करती हैं। इसी प्रकार मंत्रालय ने 2023 तक देश में 150 हाथी गलियारों की भी पहचान की है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ मिलकर सन्निहित भूभाग में हाथियों के दीर्घकालिक संरक्षण और प्रबंधन हेतु क्षेत्रीय कार्य योजना तैयार करने की पहल की है।

अनुलग्नक-I

"मानव-पशु संघर्ष" के संबंध में दिनांक 04.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2378 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान बाघों के हमलों के कारण हुई मानव मृत्यु का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	**राज्य**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	असम	0	0	0	0	4
2	बिहार	1	4	9	1	2
3	छत्तीसगढ	0	0	0	3	0
4	झारखंड	0	0	0	0	0
5	कर्नाटक	0	1	1	8	2
6	केरल	2	0	0	0	0
7	मध्य प्रदेश	11	2	3	10	6
8	महाराष्ट्र	25	32	82	37	42
9	मिजोरम	0	0	0	0	0
10	ओडिशा	0	0	0	0	0
11	राजस्थान	0	0	0	0	0
12	तमिलनाडु	1	3	0	1	0
13	तेलंगाना	2	0	0	0	1
14	उत्तर प्रदेश	4	11	11	25	10
15	उत्तराखंड	0	1	3	0	5
16	पश्चिम बंगाल	5	5	1	0	1
कुल		**51**	**59**	**110**	**85**	**73**

अनुलग्नक-II

"मानव-पशु संघर्ष" के संबंध में दिनांक 04.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2378 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान हाथियों के हमलों के कारण हुई मानव मृत्यु का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	4	6	4	5	6
2	अरुणाचल प्रदेश	0	2	2	0	0
3	असम	75	91	63	80	74
4	छत्तीसगढ	77	42	64	69	51
5	झारखंड	84	74	133	96	87
6	कर्नाटक	30	26	27	29	48
7	केरल	12	20	25	22	23
8	महाराष्ट्र	1	0	0	2	5
9	मेघालय	4	6	3	3	7
10	नगालैंड	0	0	0	1	1
11	ओडिशा	117	93	112	148	154
12	तमिलनाडु	58	57	37	43	61
13	त्रिपुरा	2	1	2	2	1
14	उत्तर प्रदेश	6	1	0	4	4
15	उत्तराखंड	9	13	12	4	8
16	पश्चिम बंगाल	116	47	77	97	99
	कुल	**595**	**479**	**561**	**605**	**629**